झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 04.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री निरल पुरती स0वि0स0	झारखण्ड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के ज्ञापांक- 125, दिनांक- 22.04.2016 के आलोक में अल्पसंख्यक सहायक प्राप्त (भाषाई एवं धार्मिक) विद्यालयों शिक्षक नियुक्ति की जटिल प्रक्रियाओं के कारण नियुक्ति में काफी बाधा उत्पन्न हो रही है। अतएव ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त (भाषाई एवं धार्मिक) विद्यालयों की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को सरल करते हुए शिक्षक नियुक्त करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
02-	श्री सुदेश कुमार महतो स0वि0स0	अलग झारखण्ड राज्य की लड़ाई लड़ने वाले हजारों की तादाद में लोगों को झारखण्ड आन्दोलनकारी के तौर पर चिन्हित किया गया है, परन्तु चिन्हित आन्दोलनकारियों को दी जा रही पेंशन और सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। शहीद आन्दोलनकारियों के आश्रितों को नौकरी देने के मामले में भी हालिया फैसले सम्मानजनक नहीं है, साथ ही आन्दोलनकारियों के	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
		परिजनों के शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाओं को लेकर भी कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि आन्दोलन से प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से जुड़े हजारों लोग लगातार मान सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अतः झारखण्ड आन्दोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिए जाने और सेनानियों को मिलने वाली सुविधाएं मुहैया कराने एवं सम्मानजनक पेंशन की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
03-	श्री कमलेश कुमार सिंह स0वि0स0	झारखण्ड प्रदेश के 17 जिलों में विश्व बैंक के सहयोग से तेजस्विनी योजना के तहत् 14 से 24 वर्ष के युवतियों के रोजगार प्रशिक्षण कार्य कराए जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण के लिए 12839 क्लबों का गठन कर 14 ट्रेड प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा एक 11 लाख युवतियों का प्रशिक्षण दिए जाने का दावा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है जो कि सरासर गलत है। इस योजना की मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी जिलास्तरीय पदाधिकारी के नहीं होने के कारण एन0जी0ओ0 एवं तेजस्विनी क्लबों के द्वारा फर्जी लाभुक दिखाकर सुनियोजित तरीके से सरकारी राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। अतः तेजस्विनी योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु तथा तेजस्विनी योजना की मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी जिलास्तरीय पदाधिकारी को देने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा
04-	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0 श्री रामचन्द्र सिंह स0वि0स0 श्री सोनाराम सिंकू स0वि0स0	सदियों से संस्कृतिक व धार्मिक रूप से जुड़ कर संरक्षण, संवर्धन और उपयोग करते आ रहे वनों के अधिकारों से वंचित कर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों पर ऐतिहासिक अन्याय किया गया था और उन समुदायों को न्याय दिलाने के लिए	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

01.	02.	03.	04.
		वन अधिकार अधिनियम 2006 का निर्माण कर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन पट्टा देने का प्रावधान किया गया है केन्द्र एवं राज्य सरकार के माध्यम से भी इस महत्त्वकांक्षी कानून का अनुपालन के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। सिमडेगा जिला में एवं अन्य कुछ जिलों में वन अधिकार कानून 2006 में अंकित नियमावली के तहत् आवेदन जमा किया गया है, पर जिलास्तर की समिति के द्वारा सामुदायिक वन पट्टा नहीं दिया जा रहा है। अतः सदन के माध्यम से यह माँग की जाती है कि यथाशीघ्र सामुदयिक वन पट्टा दिलाया जाय।	
05–	श्री केदार हजरा स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में कुल 33 संस्कृत विद्यालयों जो वित्त रहित विद्यालय है, इन विद्यालयों के स्थापना 20–25 वर्ष पहले किया गया था। संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणकर्मी को समय पर सरकारी अनुदान नहीं मिलने के कारण इन सभी कर्मियों की माली हालत काफी खराब हो गई है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते हुए सरकार से माँग करता हूँ कि सरकार उर्दू विद्यालयों, मदरसों की तरह संस्कृत विद्यालयों को भी ससमय अनुदान तथा वित्त रहित संस्कृत विद्यालयों को सरकारीकरण करते हुए कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणकर्मी को नियमित नौकरी एवं वेतनमान दी जाए।	वित्त

राँची,
दिनांक– 04 मार्च, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–01/2022–939/वि0 स0, राँची, दिनांक– 03/03/22

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग/वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग एवं वित्त विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–01/2022–939/वि0 स0, राँची, दिनांक– 03/03/22

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/–

03/03/22